कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)

उपखनिज निकासी गेटो में पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव हेतु निविदा सूचना

गौला नदी में खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत शीशमहल से शान्तिपुरी निकासी गेटों तक खनन सत्र 2025–26 में नदी क्षेत्र में उपखनिज चुगान कार्य में लगे श्रमिको, कार्यरत कर्मचारियों, वाहन स्वामियों आदि को नियमित रूप से ट्रक टैंकर/ट्रैक्टर टैंकर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं धूल आदि से बचाव के लिए गेट के आस–पास वाहन मार्गो पर पानी छिड़काव हेतु जी0एस0टी0 एवं सम्भागीय परिवहन कार्यालय में वाणिज्यिक पंजीकृत वाहन स्वामियों/फर्म/सोसायटी से मोहरबन्द निविदाए पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से निविदा निम्न कार्यक्रम के अनुसार आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	फार्म वितरण का दिनांक व समय	फार्म जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक व समय	कार्यालय का पता
1.	11.10.2025 से 03.11.2025 (कार्यालय समयानुसार)	04.11.2025 अपरान्ह 01:00 बजे तक	04.11.2025 अपरान्ह 02:00 बजे	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी, भारत गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।

प्राप्त निविदायें उपरोक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेंगी। समस्त निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट http://www.uafdc.in/tenders.html से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा फार्म, शर्ते एवं कार्य स्थल आदि का पूर्ण विवरण किसी भी कार्यदिवस/कार्य समय में रू0–500.00 + जी0एस0टी0 नकद जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक– 1011/निविदा/श्रमिक कल्याण
दिनांक– 09.10.2025

वाट्सऐप / ई-मेल द्वारा

कार्यालय-प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन गौला हल्द्वानी,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग-हल्द्वानी(नैनीताल)।
निकट-आदित्य बैंकटहॉल, गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा हल्द्वानी(नैनीताल) e-mail :ukhld@yahoo.in

उपखनिज निकासी गेटो मे पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव हेतु निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक-1011/निविदा श्रमिक कल्याण, दिनांक-09-10-2025 द्वारा गौला नदी में खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत शीशमहल से शान्तिपुरी निकासी गेटों तक खनन सत्र 2025-26 में नदी क्षेत्र में उपखनिज चुगान कार्य में लगे श्रमिको, कार्यरत कर्मचारियों, वाहन स्वामियों आदि को नियमित रूप से ट्रक टैंकर / ट्रैक्टर टैंकर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं धूल आदि से बचाव के लिए गेट के आस-पास वाहन मार्गो पर पानी छिड़काव हेतु जी0एस0टी0 एवं सम्भागीय परिवहन कार्यालय में वाणिज्यिक पंजीकृत वाहन स्वामियो/फर्म/सोसायटी से मोहरबन्द निविदाए पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/ कोरियर से निविदा निम्न कार्यक्रम के अनुसार आमन्त्रित की गयी है।

क0 सं0	फार्म वितरण का दिनांक व समय	फार्म जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक व समय	कार्यालय का पता
1	11-10-2025 से 03-11-2025 (कार्यालय समयानुसार)	04-11-2025 अपरान्ह 01:00 बजे तक	04-11-2025 अपरान्ह 2:00 बजे	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी, भारत गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी

प्राप्त निविदायें उपरोक्तानुसार अधेहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेंगी। समस्त निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट http://www.uafdc.in/tenders.html से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा फार्म, शर्ते एवं कार्य स्थल आदि का पूर्ण विवरण किसी भी कार्यदिवस/कार्य समय में रू0-500.00 + जी0एस0टी0 नकद जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी

1- उपखनिज निकासी गेटो मे पेयजल आपूर्ति एवं जल छिडकाव हेतु निविदा की शर्ते एवं कार्य विवरण :-

कार्य विवरण

क0सं0	उपखनिज निकासी गेट का नाम	प्रतिदिन पानी की आवश्यकता	जमानत धनराशि (रू0)	अभ्युक्ति
1	शीशमहल	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	नदी क्षेत्र में कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा गेट के दोनो ओर 01 किमी0 मोटर मार्ग पर जल छिड़काव करना होगा।
2	राजपुरा	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
3	टनकपुर	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
4	इन्द्रानगर वाहन/बुग्गी गेट	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
5	ऑवलाचौकी	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
6	गोरापड़ाव	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
7	मोटाहल्दू	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
8	बेरीपड़ाव	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
9	हल्दूचौड़	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
10	देवरामपुर	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
11	लालकुँआ	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
12	शान्तिपुरी	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	

नोट - 1- पेयजल आपूर्ति एवं जल छिडकाव हेतु निविदादाता के नाम से जी0एस0टी0 में पंजीकरण तथा वाणिज्यिक वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में निविदादाता के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।

2-एक वाणिज्यिक वाहन स्वामी को अधिकतम 02 गेटों हेतु निविदा देनी होगी। तदनुसार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पानी छिड़काव की निविदा स्वीकार की जायेगी। यदि 02 गेट से अधिक गेटों की निविदा दी जाती है तो निविदादाता के पास तदनुसार वाणिज्यिक वाहनो का होना आवश्यक है। तदनुसार निविदा के साथ आर0सी0 की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3-स्वच्छ पेयजल से भरे टैंकर को मौके पर अनुभाग अधिकारी द्वारा बताये गये स्थान पर खड़ा रखना होगा तथा वह जल छिड़काव कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

4-निविदादाता को निविदा फार्म में निकटतम पानी उपलब्ध होने के स्थान से कार्य क्षेत्र तक की दूरी (किमी0 मे) को दर्शित किया जाना अनिवार्य है।

5-उपरोक्त आवश्यकता की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कमी / वृद्धि संभावित है।

निविदा हेतु शर्ते

1- निविदा हेतु पता *" प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक ,उत्तराखण्ड वन विकास निगम , खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी, नियर-आदित्य बैंकट हॉल, भारत गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)"* निविदा सीलबन्द लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफे के उपर *" स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव "* लिखा होना आवश्यक है।

2- स्वामी/फर्म/सोसायटी को उपरोक्त कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा निर्धारित फार्म में स्वहस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेषित की जानी है। निविदा फार्म एवं शर्ते इस कार्यालय से दिनांक-03-11-2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0-500.00+ जी0एस0टी0 नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

3- निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही प्रेषित की जानी है। दस्ती निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। विलम्ब से प्राप्त डाक में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा। निर्धारित समय तक निविदा शर्तों के अनुसार वैध प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा।

4- निविदादाता के नाम वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ वाणिज्यिक वाहन की आर0सी0 व जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

5- निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्टमनी का एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0 बैंक से निर्गत जो कि ''प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी'' के पदनाम बन्धक हो ,को संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्टमनी राशि के निविदा प्रथमदृष्टया ही अमान्य कर दी जाएगी। निविदादाता द्वारा जितने गेटों की दरें देनी हैं उतने गेटों की अर्नेस्टमनी उपरोक्त विवरण के अनुसार जमा करनी आवश्यक होगी। बिना निर्धारित अर्नेस्टमनी के निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।

6- **निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड , आधार कार्ड , वाणिज्यिक वाहन की वैध आर0सी0 व जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिनका नम्बर निविदा फार्म में अंकित करना होगा** । माँगे जाने पर उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

7- निविदादाता द्वारा निविदा के साथ वांछित संलग्न प्रपत्रो के वैध होने की पुष्टि सम्भागीय परिवहन कार्यालय से भी करायी जा सकती है। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र लगाने पर सफल निविदादाता को बिना कारण बताये निरस्त करते हुए जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी ।

8- निविदा में अंकित दरें जलमूल्य, ढुलान व्यय आदि समस्त व्यय सम्मिलित करते हुए प्रति चक्कर / प्रति टैंकर देनी होगी। टैंकर की क्षमता न्यूनतम 4000 लीटर होनी चाहिए। सफल निविदादाता का उत्तरदायित्व है कि ये सम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का पालन करें। किसी प्रकार का नियमो का उल्लंघन करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

9- निविदादाता द्वारा , **निविदा में कार्य दर एवं कर का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है।** अलग से किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा **अस्पष्ट एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।** यह दरें सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू मानी जायेगी। **उक्त अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।** निविदादाता को भुगतान से पहले अपना बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। तभी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10- कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित चक्कर से अधिक/कम चक्कर सम्बन्धित निविदादाता को लगाने पड़ सकते हैं , जिसका चक्करों के अनुसार भुगतान स्वीकृत दरों पर किया जायेगा। समान्यतया बारिश के दिन एवं अवकाश के दिन पानी छिड़काव एवं जलापूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निविदा दर स्वीकृत होने के उपरान्त सफल निविदादाता को **मौके पर पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव कार्य अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के** उपरान्त वन विकास निगम के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी/गेट इंचार्ज की देखरेख एवं उनकी माँग के अनुसार करना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सन्तोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

12- सफल निविदादाता को पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन के चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स /आधार कार्ड सम्बन्धि गेट पर जमा करना होगा। कार्य के दौरान चालक बदला जाता है तो सफल निविदादाता को नये चालक के उपरोक्त प्रपत्रो की छायाप्रति सम्बन्धित गेट पर जमा करनी होगी।

13- सफल निविदादाता कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निविदा में दिये गये वाहन के अतिरिक्त यदि अन्य वाहन स्वामी के वाणिज्यिक वाहन को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव कार्य हेतु लगाना चाहता है तो उस कार्य के भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

14- भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं जी0एस0टी0 (टी0डी0एस0) की धनराशि की कटौती की जाएगी, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

15- सफल निविदादाता को पेयजल आपूर्ति हेतु स्वच्छ पेयजल से भरे टैंकर को मौके पर अनुभाग अधिकारी द्वारा बताये गये स्थान पर खड़ा रखना होगा तथा वह जल छिड़काव कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

16- **निविदादाता द्वारा जारी टैक्स इनवाईस की जी0एस0टी0 रिर्टन निर्धारित समय से फाईल की जायेगी।** यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि जी0एस0टी0पोर्टल पर GSTR 2A में प्रदर्शित नहीं हुई, जिस कारण भुगतान की गई जी0एस0टी0 का ITC Claim नही मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के आगामी भुगतान से कर ली जायेगी अथवा जमा जमानत से की जायेगी।

17- सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व रू0-100.00 (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा । सफल निविदादाता को कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुद्ध गुणवत्ता मानको के अनुसार करनी होगी तथा उल्लिखित शर्तो का अनुपालन न करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त करने का अधिकार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक का होगा।

18- सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार के कार्य के प्रति लापरवाही तथा समय पर कार्य सम्पन्न न करने पर भुगतान नही किया जायेगा तथा जमानत जब्त कर ली जायेगी कभी किसी भी परिस्थिति में पेयजल आपूर्ति एवं छिडकाव न करने पर विभाग द्वारा बाजार दरो पर कार्य कराया जायेगा जिस पर हुए अधिक व्यय की कटौती सफल निविदादाता से की जायेगी।

19- कार्य विवरण उपरोक्तानुसार अनुमानित है , किन्तु कमी/वृद्धि सम्भावित है। तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कार्यादेश जारी किया जाएगा। वास्तविक कार्य के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

20- एक समान न्यूनतम निविदा दर होने पर उसे शासकीय संस्थान/संस्था/विभाग में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य में वरीयता दी जायेगी।

21- निविदा आंशिक या पूर्ण रूपेण किसी स्तर पर निरस्त/स्थगित होने की दशा में कोई क्लेम/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

22- निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जाएगी , किन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है। कार्यादेश एकमुश्त या किश्तों में जारी किया जा सकता है। कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुद्ध गुणवत्ता मानकों के अनुसार करनी होगी। निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा वन निगम किसी अन्य से कार्य कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।

23- खनन सत्र समाप्त होने के उपरान्त स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पानी छिड़काव कार्य का सम्बन्धित कर्मचारी/अनुभाग अधिकारी से सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बन्धक धनराशि वापस की जायेगी।

24- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामले को आर्बीट्रेटर के समक्ष भेजा जाएगा जो कि प्रबन्ध निदेशक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , देहरादून द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

25- किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Judicial) नैनीताल जनपद में होगा।

संलग्न- यथोपरि।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी

कार्यालय– प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम ,खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी।

(निविदा फार्म क0सं0 ....)　　　　{फार्म मूल्य–500.00 + जी0एस0टी0}

खनन सत्र 2025–26 में खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग हल्द्वानी के अन्तर्गत गौला नदी में उपखनिज गेटों में चुगान कार्य में लगे श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा गेटों में पानी छिड़काव हेतु निविदा फार्म

निविदादाता का नाम (व्यक्ति/फर्म/सोसायटी)– ....

निविदादाता का पता (व्यक्ति/फर्म/सोसायटी)– ....

ट्रैक्टर संख्या– (1) .... (2) ....

निविदादाता की जी0एस0टी0 संख्या – .... पैन संख्या – .... आधार संख्या– ....

जमा धरोहर का विवरण :–बैंक .... संख्या .... दिनांक .... धनराशि (रू).............................

निविदादाता द्वारा दी गयी दरें (धनराशि रूपयें में)

क्रसं	प्रभाग का नाम	कार्य विवरण	गेट का नाम	निकटतम पानी उपलब्ध होने के स्थल से कार्य क्षेत्र तक की दूरी (किमी0 में)	प्रस्तुत निविदा दर (रू प्रति टैंकर/प्रति चक्कर)			जमानत (रू0 में) (प्रति गेट हेतु)
					जल मूल्य आदि सहित दर प्रति चक्कर	जी0एस0टी0 धनराशि	कुल धनराशि	
1	खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी	वाणिज्यिक वाहन से नदी क्षेत्र में कार्यस्थल पर टैंकर खड़ाकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा निकासी गेट मोटर मार्ग के 01 किमी0 की परिधी में जल छिड़काव ।	शीशमहल					10000.00
			राजपुरा					10000.00
			टनकपुर					10000.00
			इन्द्रानगर बाइपास/कुल्ली गेट					10000.00
			आँवलाचौकी					10000.00
			गौलापड़ाव					10000.00
			मोटाहल्दू					10000.00
			बेरीपड़ाव					10000.00
			हल्दूचौड़					10000.00
			देवरामपुर					10000.00
			लालकुंआ					10000.00
			शान्तिपुरी					10000.00

संलग्न प्रपत्रों का विवरण –: 1– उपरोक्त में जिस गेट हेतु दरें देनी है उसी गेट के आगे निविदा दर का उल्लेख किया जाए।

मेरे/हमारे द्वारा निविदा शर्तें भली–भाँति पढ़ एवं समझ ली गई है। उक्त निविदा शर्तों के साथ ही शासन एवं वन विभाग/वन विकास निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के पालन हेतु मैं बाध्य रहूँगा ।

निविदा शर्तों के अनुसार निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

संलग्नक–: (1)–: जमानत की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0/डी0आर0 (मूल में). (2)–: वाहन की आर0सी0 तथा वाणिज्यिक का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

(3)–: वाहन स्वामी का पैन , आधार कार्ड , जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति. (4)–: किसी संस्था/संस्थान/विभाग में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम व पता – ....

फोन / मो0 नं0 ....